अनुमण्डल कार्यालय सदर, भागलपुर

निर्वाचन शाखा

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के प्रेस नोट संख्या–ECI/PN/35/2014 दिनांक 19.07.14 द्वारा विधान सभा उप निर्वाचन–2014 के सफल संचालन हेतु प्रेस नोट जारी की जा चुकी है। उक्त परिपेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, निदेशन एवं अधीक्षण में जिला अन्तर्गत 26–भागलपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 156–भागलपुर विधान सभा खण्ड में स्वतंत्र, निस्पक्ष शांतिपूर्ण, विश्वसनीय एवं पारदर्शी उप निर्वाचन कराने हेतु सेक्टर पदाधिकारी की नियुक्ति संलग्न सूची के अनुसार की जाती है। जिसकी सूची एवं प्रत्येक सेक्टर सम्बद्ध मतदान केन्द्रों का विवरण इस आदेश के साथ संलग्न किया जाता है।

सेक्टर नं0	सेक्टर पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सेक्टर पदाधिकारी का मोबाईल नं0	थाना का नाम	संबद्ध मतदान केन्द्र सं0
3	4	5	6	7
1	सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी, सहायक अधीक्षक आई0टी0आई0, भागलपुर	9279225296	नाथनगर	1 3 4 110 115 116 122 117 118 120 125 126
2	राकेश भूषण, सहायक अधीक्षक, आई0टी0आई0, भागलपुर	9097089823	नाथनगर / ललमटिया / विश्वविद्यालय	2 5 6 7 8 9 10 113 114 13 14 15
3	मुणी लाल दास, मुख्य अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	7631437316	ललमटिया / नाथनगर / विश्वविद्यालय	105 106 107 108 109 111 112 127 130 128 129
4	अमरेन्द्र कुमार मांझी, मुख्य अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	7250870210	ललमटिया / नाथनगर / विश्वविद्यालय	11 12 143 144 145 102 135 141 142 133 134 136
5	ब्रज किशोर कुमार मुख्य अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9934373661	ललमटिया / नाथनगर	131 132 137 138 139 140 121 123 124 119 16 103 104
6	शशि भूषण आर्या, मुख्य अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9431861072	तातारपुर / विश्वविद्यालय थाना	95, 95क, 96 101, 101क, 149 97 98 99 100 148 147 153
7	श्री आत्मानन्द पासवान, सहायक अधीक्षक,आई0टी0आई0, भागलपुर	8092853427	तातारपुर	89 90 91 92 92क 93 146 150 151 152 168 169 170 171
8	दुधेश्वर सिंह, सहायक अधीक्षक, आई0टी0आई0, भागलपुर	9430081557	तातारपुर / आदमपुर	20 21 22 94 18 19 23 30 31 17 17क 165 166 167
9	दिलीप कुमार, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9835316710	आदमपुर	24 25 26 27 28 29 87 88 38 39 36 37
10	उमेश कुमार, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9934577636	आदमपुर / बरारी	32 33 34 35 40 76 77 49 69 70 72 72क
11	राजीव विनायक, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9308531057	बरारी	46 47 48 71 73 74 75 44 45 41 42 43
12	आनन्द प्रकाश, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9852168703	बरारी	52 61 62 63 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60
13	रूपेश रजक, अनुदेशक, आई0टी0आई0, भागलपुर	9931646415	तिलकामांझी / बरारी	64 65 66 67 68 201 202 203 204 206 207 208
14	जय प्रकाश मिश्र, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	8409235657	ईशाकचक / तिलकामांझी	205 209 198 198क 199 200 214 215 216 217 218 219 220 220क
15	सुमन कुमार, अनुदेशक, आई0टी0आई0, भागलपुर	9631149337	ईशाकचक / तिलकामांझी	179 182 193 194 195 180 181 196 197 190 191 192
16	राम सेवक पासवान, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9504649272	ईशाकचक	212 213 210 211 189 183 184 185 187 188 188क 186

सेक्टर नं0	सेक्टर पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	सेक्टर पदाधिकारी का मोबाईल नं0	थाना का नाम	संबद्ध मतदान केन्द्र सं0
3	4	5	6	7
17	अनन्त विजय राज, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9546019710	ईशाकचक	221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
18	राकेश कुमुद रजन, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	7870823361	मोजाहिदपुर	235 236 237 238 239 243 244 245 246 232 233
19	सुनील कुमार, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	7250490616	मोजाहिदपुर	234 161 162 163 164 160 156 157 158 159 154 155
20	विनय कुमार, अनुदेशक आई0टी0आई0, भागलपुर	9472124532	बबरगंज/ मोजाहिदपुर	247 248 249 250 251 252 269 270 271 272 273 274
21	कुन्दन कुमार जायसवाल, सहायक अधीक्षक आई0टी0आई0, भागलपुर	8051907927	बबरगंज/ मोजाहिदपुर	260 261 262 263 266 267 281 282 283 276 277 278 275
22	देवेन्द्र मोदी, कनीय अभियंता, रूपांकन–1, भागलपुर	9431521435	बबरगंज	240 241 242 253 254 255 256 257 258 259 264
23	नवीन कुमार, सहायक अभियंता, रूपांकनं प्रमण्डल संख्या–1, भागलपुर	7870156801	बबरगंज	265 268 279 280 284 285 286
24	बिपुल नारायण सिंह, कनीय अभियंता, सिंचाई, भागलपुर	9546147141	कोतवाली	85 86 173 174 172 175 176 177 178
25	श्रीकृष्ण चौरसिया, प्राक्कलन पदाधिकारी,सिचाई, भागलपुर	9431609479	कोतवाली/ आदमपुर	81 82 83 84 80 78 79

सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित होंगे:–

1. मतदान पूर्व दायित्व– मतदान स्थल के संबंध में।

i- मतदान स्थल पर जाने वाले रास्ते की पहुँच पथ की दृष्टि से सुगमता का सत्यापन करना।

ii- मतदान केन्द्रों पर निम्नलिखित आधारभूत आवश्यकताओं यथा–पानी, शेड, रैम्प, शौचालय, फोन इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित करना एवं भवन की भौतिक स्थिति का आकलन करना।

iii- नये मतदान केन्द्रों का व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करना।

iv- दूरभाष संख्या का संग्रहण करना एवं मतदान केन्द्र का मोबाईल से सम्बद्धता सुनिश्चित करना।

v- यह देखना कि मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में राजनीतिक दल के कार्यालय हैं या नहीं ?

vi- अनाधिकृत चुनाव अभ्यान दल के वाहन के आवागमन, सम्पति का विरूपन, अनाधिकृत प्रचार–प्रसार, समुदायिक भवनों/सरकारी वाहन/सरकारी सेवकों का दुरूपयोग एवं सभी सम्भावित आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पर नजर रखन।

2. मतदान पूर्व दायित्व–मतदाता से संबंधित

i- अपने सम्बद्ध क्षेत्र के मतदाताओं के बीच इ0वी0एम0 का प्रदर्शन कर उन्हें जागरूक करना।

ii- EPIC कवरेज कार्यक्रम के बारे में विशेष रूप से सूचित करना।

iii- मतदाताओं को हेल्प–लाईन एवं मतदान केन्द्र के लोकेशन के बारे में सूचना देना।

iv- मतदाताओं को अपना नाम एवं प्रविष्टि बी0एल0ओ0 के माध्यम से मतदाता सूची में जॉच करने हेतु सूचना देना।

3. मतदान पूर्व दायित्व– भेद्यता मैपिंग के संबंध में।

i- विश्वसनीयता बनाने हेतु अपने क्षेत्रों का निरंतर भ्रमण करना।

ii- भेद्यता मैपिंग

iii- गांव, टोला एवं ऐसे मतदाता समूह की पहचान करना जो डराने–धमकाने के दृष्टिकोण से भेद्य है।

iv- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना– केवल संख्या में नही बल्कि नाम के द्वारा – जो भेद्यता के कारक हैं, एवं विहित प्रपत्र में इसकी सूचना RO/DEO को सूचना के श्रोत को प्रकट किये बिना देना।

v- मतदाताओं का स्वतंत्र रूप से मतदान केन्द्र पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए जवाबदेह होना।

vi- भेद्य समुदाय के मध्य अपने दूरभाष द्वारा सम्पर्क बिन्दु स्थापित करना।

vii- सेक्टर पदाधिकारी मतदान के 07 (सात) दिन पूर्व से जोनल दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए उनके साथ पुलिस पदाधिकारी भी रहेंगे।

viii- चूँकि सेक्टर पदाधिकारी जोनल दण्डाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। इसलिए वे जोनल दण्डाधिकारी का प्लान मतदान केन्द्र एवं चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों के दूरभाष संख्या की सूची एवं जवाबदेह व्यक्तियों तथा असामाजिक व्यक्तियों की सूची भी तैयार करेंगे।

4. मतदान तिथि के पूर्व के दिन सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्वः—

i- उनके सेक्टर क्षेत्र से सम्बद्ध मतदान केन्द्रों पर मतदान दल एवं सभी मतदान सामग्री की पहुँच सुनिश्चित करना।

ii- यह सुनिश्चित करना कि उनके सेक्टर से सम्बद्ध मतदान केन्द्रों पर योजना के अनुरूप पुलिस बल पहुँच गये है।

iii- मतदान कर्मियों के बीच इ0वी0एम0 संचालन एवं मतदान प्रकिया के बारे में यदि संदेह है, तो उसे दूर करना।

iv- नियंत्रण कक्ष को OK प्रतिवेदन देना।

5. मतदान के दिन सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्वः—

i- यह सुनिश्चित करना कि उनके सेक्टर से सम्बद्ध मतदान केन्दों पर Mock Poll कराया गया है एवं यदि कोई समस्या हो तो उसे दूर करना।

ii- उन मतदान केन्द्रों का निरंतर भ्रमण करना जहां Mock Poll मतदान अभिकर्त्ता की अनुपस्थिति में होना था।

iii- मतदान प्रारंभ होने की सूचना नियंत्रण कक्ष को देना।

iv- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र पर पुलिस बल अपने स्थान पर तैयान है।

v- इ0वी0एम0 रिप्लेस होने की आवश्यकता होने पर उसे अपने पास सुरक्षित रखे इ0वी0एम0 रिप्लेस करना।

vi- मतदान अभिकर्त्ता की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति की सूचना देना।

vii- यह सुनिश्चित करना कि मतदान केन्द्र के कार्मिक मतदान केन्द्र के अन्दर आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से कार्य कर रहे हैं।

viii- मतदान प्रक्रिया की स्वच्छता बरकरार रखना एवं अपने भ्रमण के दौरान मतदान केन्द्र पर मतदान के सभी पहलुओं की जांच करना।

ix- Mock Poll का प्रमाण पत्र तैयार करना एवं Mock Poll की स्थिति के संबंध में 30 मिनट के अन्दर जिला नियंत्रण कक्ष को प्रतिवेदन देना।

x- म्तदान पद्धति की जांच करना और यह देखना कि किसी विशेष समुदाय/शाखा/समूह के लोग मतदान से वंचित तो नहीं हो रहे है ? यदि ऐसा हो तो उसे निवारण हेतु RO को सूचना देना।

xi- मतदान प्रतिशत के संबंध में समय—समय पर प्रतिवेदन जिला नियंत्रण कक्ष को देना।

xii- मतदान के दिन प्राप्त शिकायतों की स्थल जांच करना एवं नियमानुसार आव यक कार्रवाई सुनिश्चित करना।

xiii- मतदान दल द्वारा इ0वी0एम0 की सीलिंग एवं कागजातों की तैयारी की जांच करना।

xiv- मतदान दल के साथ इ0वी0एम0 संग्रह केन्द्र तक स्कॉर्ट करना।

xv- मतदान केन्द्र पर मतदान कर्मियों की आवश्यकता होने पर जिला निर्वाचन कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी/जिला नियंत्रण कक्ष को सूचित कर सुरक्षित कर्मियों से बदलने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।

6. मतदान समाप्ति के पश्चात् सेक्टर पदाधिकारी के कार्य एवं दायित्वः—

i- यह सुनिश्चित करना कि पीठासीन पदाधिकारी की डायरी पूर्ण रूप से भरी गयी है।
ii- यह सुनिश्चित करना कि इ0वी0एम0 उचित तरीके से सील की गई है।
iii- यह सुनिश्चित करना कि प्रपत्र 17-C की प्रतियाँ सभी मतदान अभिकर्त्ताओं को पीठासीन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी है।
iv- यह सुनिश्चित करना कि रजिस्टर 17-A पूर्ण रूप से भरा गया है एवं मतदान समाप्ति के पश्चात् उसे Underline कर बन्द कर दिया गया है।
v- यह सुनिश्चित करना कि प्रारूप XV जिसे पीठासीन पदाधिकरी द्वारा भरा जाना है। और जिसे प्रेक्षक को दिया जाना है, पूर्ण रूप से भरा गया है।

मतदान समाप्ति के पश्चात सेक्टर पदाधिकारी प्रारूप में अपना प्रतिवेदन संग्रहण केन्द्र पर सहायक निर्वाची पदाधिकारी को देंगे। इसके अतिरिक्त समय–समय पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के आलोक में सेक्टर पदाधिकारी कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुलग्नकः— यथोपरि।

ह0/–

निर्वाची पदाधिकरी,
156 भागलपुरविधान सभा क्षेत्र–सह–
अनुमंडल पदाधिकारी
सदर भागलपुर

ज्ञापांकः—292/निर्वा0, दिनांक—26 जुलाई 2014

प्रतिलिपिः— सभी संबंधित नियुक्त सेक्टर पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आदेश अनुपालनार्थ प्रेशित।

प्रतिलिपिः— सभी नियुक्त सेक्टर पदाधिकारी के नियंत्री पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं पत्र तामिला कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— पुलिस उपाधीक्षक नगर/संबंधित थाना अध्यक्ष शहरी क्षेत्र भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपः— जिला स्तरीय सभी निर्वाचन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

प्रतिलिपिः— उप निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— जिला निर्वाचन पदाधिकारी –सह– जिलाधिकारी भागलपुर को सादर सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

26/07/14

निर्वाची पदाधिकरी,
156 भागलपुरविधान सभा क्षेत्र–सह–
अनुमंडल पदाधिकारी
सदर भागलपुर